बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

(1)

प्रेस नोट

विभागीय सॉफ्टवेयर – वैटमिस एप्लीकेशन (VATMIS Application) के लिए अगले एक वर्ष (दिनांक 23.08.2025 से 22.08.2026 तक) हेतु मेसर्स टी.सी.एस. द्वारा वार्षिक रख–रखाव [Annual Maintenance Charges (AMC)] के नवीनीकरण के लिए बेल्ट्रॉन के प्रस्ताव पर नामांकन के आधार पर मे० टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टी.सी. एस.) को देय कुल राशि **रू० 1,31,80,414/–(एक करोड़ इकतीस लाख अस्सी हजार चार सौ चौदह रू०) मात्र** एवं इस पर बेल्ट्रॉन को देय मार्जिन एवं कर की राशि की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है।

(संजय कुमार सिंह)
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग,
बिहार, पटना।

(2)

विभाग का नामः- **वित्त विभाग, बिहार, पटना ।**

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार द्वारा 64,141.2820 करोड़ रुपये बाजार ऋण सहित कुल 72,901.3097 करोड़ रुपये के ऋण उगाही की स्वीकृति दी गयी है ।

22.4.26

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

3

प्रेस नोट

वित्त विभाग

षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक– 01.01.2026 के प्रभाव से 257% के स्थान पर 262% की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

6.5.26

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)
वित्त विभाग, बिहार, पटना

(4)

प्रेस नोट

वित्त विभाग

पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2026 के प्रभाव से 474% के स्थान पर 483% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

6.5.26

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)
वित्त विभाग, बिहार, पटना

(5)

प्रेस नोट

वित्त विभाग

सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/01/2026 के प्रभाव से 58% के स्थान पर 60% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

6.5.26

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)।

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

(6)

प्रेस–नोट

विषयः– अपराध एवं साम्प्रदायिक रुप से अत्यंत संवेदनशील राज्य के 05 जिलों यथाः– पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली एवं सिवान जिलों में पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के कुल 05(पाँच) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य सचिव
गृह विभाग,
बिहार, पटना।

प्रेस नोट
वित्त विभाग

बिहार नगरपालिका योजना सेवा संवर्ग के विभिन्न पदसोपानों के लिए निम्नवत् वेतन संरचना की स्वीकृति दी जाती है:–

क्र.सं.	पदनाम	पदसोपान / पद प्रास्थिति	प्रस्तावित वेतनस्तर
1	सहायक नगरपालिका योजना पदाधिकारी	मूलकोटि (अराजपत्रित)	Level-6
2	नगरपालिका योजना पदाधिकारी	प्रथम प्रोन्नति स्तर (राजपत्रित)	Level-7

8.5.21

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय),
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(8)

प्रेस–नोट

औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु वैशाली जिला अन्तर्गत कुल रकबा– 1243.45 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण हेतु प्रक्रियाधीन भूमि मे से 100 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM)की स्थापना हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरण की सैद्धांतिक स्वीकृति तथा उक्त के भूमि चयन पर अन्तिम निर्णय हेतु निदेशक पर्षद, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार, पटना को प्राधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। NIFTEM कैंपस की स्थापना से स्थानीय युवाओं को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिससे कुशल मानव संसाधन विकसित होगा और फुड प्रोसेसिंग उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग।

9

संचिका संख्या– **SIPB2403000211**

प्रेस नोट

मेसर्स नीफ प्राइवेट लिमिटेड डेयरी प्लांट, प्लॉट नं०–A-3(P-I) औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दरपुर बिहटा कलस्टर, पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में Full Cream Milk-84000 Ltr/Day, Toned Milk-36000 Ltr/Day, Curd-60000 Ltr/Day, Chaanch-20000 Ltr/Day & Butter 1980 Ltr/Day क्षमता का Full Cream Milk, Toned Milk, Curd, Chaanch & Butter उत्पादन इकाई की स्थापना करने हेतु 9717.60 लाख (संतानबे करोड़ सतरह लाख साठ हजार रूपये) मात्र के निजी पूँजी निवेश की स्वीकृति दी गयी। इकाई की स्थापना होने पर राज्य में पूँजी निवेश के साथ–साथ कुल 170 कुशल एवं अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा।

(कुन्दन कुमार)
सचिव

10

प्रेस–नोट

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु योजना संबंधी उद्योग विभाग का निर्गत संकल्प ज्ञापांक–4773 दिनांक–28.10.2013 में मंत्रिपरिषद द्वारा संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इसके अंतर्गत योजना का नाम "**मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग कलस्टर विकास योजना**" किया गया है। योजनान्तर्गत गठित राज्य स्तरीय समिति को अधिक सशक्त एवं समावेशी बनाया गया है। बियाडा के औद्योगिक क्षेत्र में "सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC)" की स्थापना हेतु बियाडा को विशेष उपक्रम (SPV) नामित किया किया गया है।

इससे निवेशकों को आकर्षित करने, इकाईयों के उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में सहायता एवं रोजगार सृजन हो सकेगा।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

प्रेस–नोट

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP), 2025 से प्रदान किए गए पैकेज पर सावधानीपूर्वक विचार–विमर्श एवं विश्लेषण के बाद, बिहार सरकार द्वारा "बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP), 2025" का अवधि विस्तार 30 जून, 2026 तक किये जाने तथा BIIPP, 2025 एवं BIIPP, 2016 में संशोधन का निर्णय लिया गया है।

इसके तहत परियोजना का कार्यान्वयन का माइलस्टोन का निर्धारण, मेगा इकाई की परियोजना लागत रू० 200 करोड़ से अधिक एवं रू0 500 करोड़ तक, भूमि आवंटन रियायत में संशोधन यथा BIADA द्वारा भूमि आवंटन की अवधि 30 वर्ष, 60 वर्ष या 90 वर्ष के लिए अनुपातिक रूप से कम दर पर किये जाने का प्रावधान आदि किया गया है। इससे निवेश की निरन्तरता, बियाडा द्वारा भूमि आवंटन को सुगम बनाने एवं औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(12)

बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

संचिका संख्या – 19/पी 2–01/2026

प्रेस नोट

राज्य सरकार के सात निश्चय–3 (2025–30) का चतुर्थ निश्चय ''उन्नत शिक्षा–उज्ज्वल भविष्य'' अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय रहित अवशेष 02 प्रखंडों (प० चंपारण जिले के पिपरासी एवं भितहा) तथा मुंगेर जिलान्तर्गत टेटिया बम्बर प्रखंड में जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक अतिरिक्त डिग्री महाविद्यालय अर्थात् कुल 03 डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना व नामकरण (संकल्प सं०–633, दिनांक 30.04.2026 से स्थापित 208 महाविद्यालयों के नामकरण सबंधी कंडिका के परिमार्जन सहित), महाविद्यालयों को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले राज्य के विश्वविद्यालयों की अंगीभूत इकाई के रूप में मान्यता, महाविद्यालयों के औपबंधिक संचालन, प्रति महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के 44 पदों के हिसाब से कुल 132 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इन महाविद्यालयों के स्थापना से राज्य में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि होगी। साथ ही साथ ग्रामीण एवं सुदूर इलाके के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

(राजीव रौशन)
सचिव

13

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

लखीसराय जिलान्तर्गत अंचल–चानन, मौजा–गोपालपुर, थाना सं0–47, खाता सं0–192, खेसरा सं0–1130 की कुल प्रस्तावित रकवा–79.92 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म–परती कदीम भूमि पर पशुपालन विकास योजना के तहत सिमेन स्टेशन की स्थापना हेतु डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय स्थायी निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14

प्रेस नोट

किशनगंज जिलान्तर्गत अंचल–पोठिया, मौजा–बुढ़नई, थाना सं0–79, खाता सं0–1136 के विभिन्न खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा–110.12 एकड़ बिहार सरकार की भूमि बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम–441 एवं विभागीय परिपत्र सं0–655(6)/रा0, दिनांक–16.06.2016 की कंडिका–5 को इस हद तक शिथिल करते हुए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(CISF) के प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(CISF), गृह मंत्रालय भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

(15)

प्रेस नोट

संचिका संख्या – 03 / मु.2–01 / 2023
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

मो. इरशाद अंसारी, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान), भोजपुर आरा सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं गबन करने संबंधी आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप इसेवा से बर्खास्त करने, जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का निर्णय लिया गया है।

Rajeev 12.5.2016

(डॉ. बी. राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेस नोट

"मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना" की स्वीकृति के फलस्वरूप वाहनजनित प्रदूषण को कम कर परिवेशीय वायु गुणवत्ता को बनाये रखने एवं वर्ष 2030 तक कुल नए वाहनों में कम–से–कम 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सुनिश्चित करते हुए वैश्विक अभियान EV 30@30 को सहयोग प्रदान करने के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सकेगा। नागरिकों में इलेक्ट्रिक वाहनों की उत्साहपूर्ण स्वीकार्यता, ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराये जाने तथा वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों से रोजगार सृजन किये जाने में सहायक सिद्ध होगा।

स्वीकृत योजना के तहत "बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023" के अंतर्गत बिहार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (Pure Electric Vehicle) के क्रय हेतु विर्निदिष्ट दिशा–निर्देश के अनुरूप इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाणिज्यिक वाहन तथा दो पहिया (महिलाओं एवं अन्य वर्ग के लिए) एवं केवल महिलाओं के लिए चारपहिया गैर वाणिज्यिक वाहनों के क्रय एवं निबंधन हेतु डी०बी०टी० के माध्यम से प्रोत्साहन की राशि देय होगी। वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों से रोजगार सृजन किये जाने एवं महिलाओं को गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि दिये जाने से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में यह योजना कारगर सिद्ध होगा।

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

(19)

प्रेस नोट

बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023 की कंडिका–4,5,7, 8 एवं 9 में संशोधन के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक कुल नए वाहनों में कम–से–कम 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सुनिश्चित हो सकेगा, वाहनजनित प्रदूषण को कम कर परिवेशीय वायु गुणवत्ता को बनाये रखने में सहायक होगा, नागरिकों में इलेक्ट्रिक वाहनों की उत्साहपूर्ण स्वीकार्यता में वृद्धि होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा उपलब्ध हो सकेगा तथा बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित वाणिज्यिक (माल वाहक तीन पहिया) एवं गैरवाणिज्यिक (दो पहिया एवं चारपहिया) वाहनों के लिए "मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना" के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। वाणिज्यिक वाहनों के माध्यम से रोजगार सृजन किये जाने का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। महिलाओं को गैर वाणिज्यिक (दो पहिया एवं चारपहिया) वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने पर आत्मनिर्भर बनाये जाने में यह योजना सहायक सिद्ध होगा। साथ ही, चार्जिंग स्टेशन की स्थापना हेतु भी वृद्धित चार्जर की संख्या के अनुरूप वृद्धित दर पर प्रोत्साहन राशि दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना हेतु भारी उद्योग मंत्रालय से PM E-DRIVE योजनान्तर्गत भी अनुदान प्राप्त किया जा सकेगा। इस प्रकार, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जाने के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

(राज कुमार)
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
<u>प्रेस नोट</u>

19

विभागीय संकल्प सं०–2224 दिनांक 25.11.2025 के द्वारा बिहार राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने हेतु बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके मुख्य उद्देश्यों में एक यह भी है कि AI प्रक्षेत्र के अग्रणी उद्योगों/संस्थानों की सहभागिता प्राप्त करने हेतु इनका चयन करना तथा राज्य में ए०आई० पारिस्थितिकी का निर्माण करना है।

उक्त उद्देश्य की पूर्त्ति हेतु राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र, कौशल विकास एवं नवाचार को सुदृढ़ करने हेतु ग्लोबल फाइनेंस एण्ड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN), सिंगापुर को नामांकन के आधार पर चयन किया गया है।

2. मेसर्स ग्लोबल फाइनेंस एण्ड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN), के चयन से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्त्ति होगी :–

- GFTN, NUS-AIDF (नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर – एशियन इंस्टीच्यूट ऑफ डिजिटल फाइनेंस) तथा लाइनक्स फाउंडेशन के सहयोग से 5 माह का उन्नत AI सर्टिफिकेशन प्रोग्राम संचालित किया जाएगा।
- 5 वर्षों में 7,000 विद्यार्थियों (STEM/गैर–STEM, स्नातक/ स्नातकोत्तर) को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- मेसर्स ग्लोबल फाइनेंस एण्ड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN) के माध्यम से AI एवं Quantum-enabled डिजिटल Sandbox प्लेटफॉर्म (Aryabhata Technology Observatory) का सृजन किया जाएगा, जिससे 100 से अधिक Startups लाभान्वित होंगें। बिहार की विशिष्ट चुनौतियों के समाधान हेतु स्टार्टअप्स उद्यमियों, छात्रों, रिसर्चर एवं सरकारी अधिकारियों को AI/ML APIs, Data Pipelines, LLM Gateway तथा Cloud IDE प्रदान करेगा।
- GFTN के 12 वैश्विक मंचों (Singapore FinTech Festival, Point Zero Forum Zurich, Black Swan Summit, Bangkok Digital Finance Forum, GFTN Forum Japan आदि) के माध्यम से बिहार को वैश्विक निवेशकों, तकनीकी कंपनियों एवं नीति–निर्माताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

06-IT-14-2026